संख्या-314/2025/302 के-2/22-3-2025-17(413)/2020

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 21 जुलाई, 2025

विषय:- जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी दयाशंकर पुत्र श्री श्रीकृष्ण, निवासी जनपद-पीलीभीत की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-27404/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-03.09.2024) दिनांक-06.09.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी दयाशंकर पुत्र श्री श्रीकृष्ण, जो ग्राम-तुर्राह, थाना-बिलसण्डा, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। अवैध सम्बन्ध होने व दहेज की मांग के कारण बन्दी ने दिनांक 27.11.2009 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी उर्मिला देवी को मारपीट कर तथा जलाकर घायल कर दिया, जिसकी उपचार के दौरान दिनांक 03-12-2009 को मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-83/2010 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 498ए में मा० न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत के आदेश दिनांक 18.07.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27.04.2015 एव मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 15.02.2016 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 01.04.2024 तक बंदी की आयु लगभग 42 वर्ष है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या का अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि अवैध सम्बन्ध होने व दहेज की मांग के कारण बन्दी ने दिनांक 27.11.2009 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी उर्मिला देवी को मारपीट कर तथा जलाकर घायल कर दिया, जिसकी उपचार के दौरान दिनांक 03-12-2009 को मृत्यु हो गयी। बन्दी ने हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक् परीक्षण कर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनायी जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी दयाशंकर पुत्र श्री श्रीकृष्ण को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी दयाशंकर (बंदी संख्या-297/2011) पुत्र श्री श्रीकृष्ण, निवासी जनपद-पीलीभीत के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः यथोपरि।</u>

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, पीलीभीत।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-314/2025/302 के-2/22-3-2025-17(413)/2020

दिनांक 21 जुलाई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी दयाशंकर पुत्र श्री श्रीकृष्ण, जो ग्राम-तुर्राह, थाना-बिलसण्डा, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। अवैध सम्बन्ध होने व दहेज की मांग के कारण बन्दी ने दिनांक 27.11.2009 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी उर्मिला देवी को मारपीट कर तथा जलाकर घायल कर दिया, जिसकी उपचार के दौरान दिनांक 03-12-2009 को मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-83/2010 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 498ए में मा० न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत के आदेश दिनांक 18.07.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27.04.2015 एव मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 15.02.2016 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 01.04.2024 तक बंदी की आयु लगभग 42 वर्ष है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या का अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि अवैध सम्बन्ध होने व दहेज की मांग के कारण बन्दी ने दिनांक 27.11.2009 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी उर्मिला देवी को मारपीट कर तथा जलाकर घायल कर दिया, जिसकी उपचार के दौरान दिनांक 03-12-2009 को मृत्यु हो गयी। बन्दी ने हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक् परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनायी जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी दयाशंकर पुत्र श्री श्रीकृष्ण को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in